न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील संख्या 21/2013

श्री रामेश्वर लाल माली पुत्र श्री धन्नालाल डीलर उचित मूल्य दुकान संख्या–21 ए. किशनगढ़ शहर जिला–अजमेर। ......अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–	1.	श्री उत्तम गुरूबक्षानी	अभिभाषक अपीलान्ट
	1.	श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी	प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.05..2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी 16 वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन कर रहा था। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं दर्ज फर्जी एफआईआर के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 08.05.2012 से अपीलकर्ता को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज व्यक्त नहीं किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में दर्ज कथनों के तहत अपील प्रस्तुति में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। उपस्थित उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा 16 वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा है, कभी कोई शिकायत नहीं रही। कुछ विरोधी व्यक्ति अपीलान्ट को किसी बडे षडयन्त्र का हिस्सा बनाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाना चाहते है। इसी के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी अजमेर को झूठी शिकायते प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा फर्जी सी.डी. एवं झूठी शिकायत के आधार पर बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। तत्पश्चात बिना सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का विवादग्रस्त आदेश दिनांक 8.5.2012 पारित कर दिया। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज करवाई गई झूठी एफ.आई.आर के आधार पर बिना कोई साक्ष्य के

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः बिना किसी पुख्ता आधार के पारित आक्षेपित आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने से अपास्त करार दिया जावें। अपील, अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 8.05.2012 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक से करवाई गई। प्रवर्तन निरीक्षक की प्राप्त जांच रिपोर्ट में काफी अनियमिताएँ पाई गई अपीलान्ट के विरूद्ध दायर एफ.आई.आर में बाद पुलिस तफतीश के न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस तफतीश में अप्रार्थी द्वारा फर्जी इन्द्राज कर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार नोटिस जारी कर वास्ते जवाब सुनवाई का प्रर्यात अवसर प्रदान कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलाथी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकर पत्र की शर्त संख्या 1, 3, 5, 11, 14सी, 15, 17सी, एवं पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2011 का उल्लघन किया जाना पाया जाने पर ही आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि 1000/– (एक हजार) जब्त सरकार की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप एवं अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकर पत्र की शर्त संख्या 1, 3, 5, 11, 14सी, 15, 17सी, एवं पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2011 का उल्लघन पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2012 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner